UPJB010041982016

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, अमरोहा ।

उपस्थितः श्री शाकिर हसन (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या–329 सन 2016

सरकार -------- **अभियोजक**

बनाम

1– ऊदल पुत्र होराम सिंह
2– राजू सिंह पुत्र वीर सिंह
3– धर्मसिंह पुत्र सूखाराम
4– सुभाष पुत्र ओमप्रकाश
5– मदन पुत्र गंगाराम(मृत्यु होने के कारण वाद कार्यवाही अवेट)
निवासीगण ग्राम सॉथलपुर की मडैया थाना आदमपुर जिला अमरोहा।

....................**अभियुक्तगण**

मु0अ0सं0 435/2014
धारा–147,148,307/149, 323/149, 332/149, 333/149, 336/149, 353 भा0दं0सं0
व धारा 7 क्रि0लॉ अमेडमेंट एक्ट
थाना–आदमपुर,
जिला–अमरोहा।

निर्णय

1– अ0सं0 435 सन 2014 में अभियुक्तगण ऊदल, राजू सिंह, धर्मसिंह, सुभाष एवं मदन के विरूद्ध धारा 147,148,149,323,332,333,336,353,307 भा0दं0सं0 व धारा 7 सी0एल0एक्ट के अन्तर्गत थाना आदमपुर की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा द्वारा दिनांक 19.10.2016 को की गयी सत्र सुपुर्दगी के आधार पर सत्र परीक्षण सं0 329 सन 2016 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा बख्तावरूल हनीफ द्वारा एक तहरीर दिनांकित 20.08.2014 इस आशय की थाना आदमपुर पर दी कि दिनांक 20.08.2014 को वादी आबकारी निरीक्षक बख्तावरूल हनीफ क्षेत्र–1 अमरोहा मय प्रधान आबकारी सिपाही क्षेत्र–1, जगवीर सिंह, महेशबाबू व आबकारी सिपाही सनक सिंह, अनिल तिवारी, हनीफउल्लाह, श्रीमति रिंकू, क्षेत्र–1, व प्रधान आबकारी सिपाही राजेन्द्र सिंह, क्षेत्र–2 अमरोहा व आबकारी सिपाही मनोज कुमार, अलीशेर, पवन सिंह क्षेत्र–2 के साथ अवैध शराब की ग्राम सॉथलपुर की बीचवाली मढ़ैइया थाना आदमपुर

Digitally signed by SHAKIR HASAN
Date: 2026.06.01 19:01:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जिला अमरोहा में मुखबिरी होने पर ग्राम में आया। जैसे ही मेरी टीम समय 14.45 बजे ग्राम में ऊदल पुत्र होराम सिंह जाति जाटव व अमर सिंह पुत्र होराम सिंह, शीशपाल सिंह पुत्र बेराम सिंह, वीर सिंह पुत्र होराम सिंह के घर के पास पहुंची तो वहॉ पहले से उपस्थित करीब 15–20 लोगों ने टीम पर अचानक हमला कर दिया, हमलावरों में से ऊदल पुत्र होराम सिह व राजू पुत्र वीर सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम सॉथलपुर की बीच वाली मैढ़ईया थाना आमदपुर जिला अमरोहा ने अपने हाथों में लिए तमंचे से आबकारी टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिससे हम आबकारी वाले हिकमत अमली से बाल–बाल बचे, तब ही इन सभी लोगों ने हम आबकारी टीम पर लाठी डन्डों व ईंट रोड़ो से मारपीट करने लगे, जिससे आबकारी सिपाही मनोज कुमार गंम्भीर रूप से घायल हो गया जिसे वहॉ से तुरन्त लेकर जिला अस्पताल अमरोहा में भर्ती कराया उसके उपरांत थाना आदमपुर जिला अमरोहा में रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया। अन्य हमलावरों को मेरे हमराही कर्मचारी अच्छी तरह जानते है। अतः मुल्जिमानों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कृपा करे।

3– वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर मुकदमा अ0सं0 435 सन 2014 धारा 147,148,149,323,336,332,333,353,307 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दिनांक 20.08.2014 को थाना आदमपुर पर पंजीकृत किया गया जिसका खुलासा जी0डी0 सं0 59 दिनांक 20.08.2014 को समय 19.30 बजे पर किया गया।

4– मामले की विवेचना निरीक्षक सतेन्द्र कुमार द्वारा की गयी जिन्होंने दौरान विवेचना घटना स्थल का निरीक्षण कर स्थल चित्र बनाया तथा गवाहों के बयान अंकित किये तथा चुटैल मनोज कुमार का चिकित्सीय परीक्षण कराया। गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा मामले में धारा 7 किमिनल लॉ अवेटमेन्ट एक्ट की वृद्धि की गयी। विवेचना निरीक्षक उमाशंकर को अन्तरित की गयी। जिनके द्वारा पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना का अवलोकन करने के उपरांत साक्ष्य संकलन करने के पश्चात बाद विवेचना अभियुक्तगण उदल, राजू सिंह, धर्म सिहं, सुभाष एवं मदन के विरूद्ध धारा 147,148,149, 323, 332,333,336,353,307भा0दं0सं0 व धारा 7 सी0एल0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।

5– अभियुक्तगण ऊदल, राजू सिंह, धर्म सिंह, सुभाष एवं मदन को विचारण हेतु तलब किया गया, अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा धारा–147,148, 307/149, 323/149, 332/149, 333/149, 336/149, 353 भा0दं0सं0 व धारा 7 कि0लॉ अमेडमेंट एक्ट के अन्तर्गत आरोप लगाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की

गयी। अभियोजन को साक्ष्य का अवसर दिया गया।

दौरान विचारण अभियुक्त मदन की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध वाद कार्यवाही उपशमित की गयी।

6– अभियोजन द्वारा विचारण के दौरान प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य–

पी0डब्लू0–1	बख्तावरउल हनीफ वादी मुकदमा
पी0डब्लू0–2	अतर सिंह
पी0डब्लू0–3	नितिन कुमार
पी0डब्लू0–4	महेश बाबू
पी0डब्लू0–5	कास्टेबिल मनोज कुमार
पी0डब्लू0–6	निरीक्षक उमाशंकर सिंह
पी0डब्लू0–7	निरीक्षक सतेन्द्र कुमार
पी0डब्लू0–8	डाक्टर चन्द्रपाल सिंह

7– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के द्वारा निम्न प्रदर्श को साबित किया गया है।

पी0डब्लू0–1बख्तावरउल हनीफ	प्रदर्श क–1	तहरीर
पी0डब्लू0–2 नितिन कुमार	प्रदर्श क–2	चिक एफ0आई0आर0
पी0डब्लू0–2 नितिन कुमार	प्रदर्श क–3	कायमी जी0डी0
पी0डब्लू0–6नि0उमाशंकर सिंह	प्रदर्श क–4	आरोप पत्र
पी0डब्लू0–7 नि0 सतेन्द्र कुमार	प्रदर्श क–5	नक्शा नजरी
पी0डब्लू0–8 डा0चन्द्रपाल सिंह	प्रदर्श क–6	मेडिकल रिपोर्ट चुटैल

8– अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये जिसमें उन्होनें घटना को झूठ व गलत बताते हुए गवाहों द्वारा गवाही झूठ व गलत दिया जाना कहा तथा रंजिशन मुकदमा चलना कहा तथा सफाई साक्ष्य पेश करने करने से इन्कार किया और यह कहा कि हम निर्दोष है कोई अपराध कारित नहीं किया है।

9– अभियोजन/राज्य की तरफ से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया ।

10– प्रस्तुत मामले में अवधार्य प्रश्न यह उत्पंन होता है कि क्या दिनांक 20.08.2014 को समय 14.15 बजे स्थान ग्राम सॉथलपुर की बीच वाली मढ़ैइया थाना आदमपुर जिला अमरोहा के अन्तर्गत अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर आबकारी विभाग की टीम पर हमला करने हेतु घातक हथियारों से लैस होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया तथा अपने सामान्य उद्देश्य

के लिए आबकारी टीम पर अचानक हमला कर दिया और अपने हाथों में लिये तमंचों से जान से मारने की नियत से फायर किये जिससे आबकारी टीम के सद्स्य बाल–बाल बच गये एवं आबकारी टीम पर लाठी डन्डों व ईट रोड़ो से मारपीट की जिससे मनोज कुमार को उपहति कारित हुई तथा वादी मुकदमा एवं अन्य सरकारी कर्मचारी/लोक सेवक जब अपने कर्तव्य के निर्वहन कर रहे थे तो उनके साथ मारपीट कर उनको सरकारी कार्य करन से भयोपरत किया तथा आबकारी विभाग की टीम के सदस्यों पर ईट रोड़े फेंके जिससे उनके व्यक्तिगत सुरक्षा एवं उनके जीवन को खतरा उत्पंन हुआ तथा फायरिंग की जिससे भय व्याप्त हो गया।

सिद्धान्त– अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति युक्त संन्देह से परे साबित करना होता है। इसके लिए पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के उपरांत यह देखना होगा कि क्या अभियोजन पक्ष उक्त सत्र विचारण में अभियोजन कथानक को सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही। इसके लिए सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों को देखना अनिवार्य है।

दाण्डिक न्यायशास्त्र का पूर्णतया तय सिद्धान्त है कि अभियोजन को अभियुक्त के विरूद्ध अपराध के आवश्यक तथ्यों को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करना होता है और यदि अभियोजन अपने इस दायित्व को साबित करने में विफल रहता है तो इसका लाभ अभियुक्त को अवश्य मिलना चाहिए।

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कथित तिथि, समय व स्थान पर ऐसी घटना घटित हुई जैसा कि अभियोजन कथानक है। इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि यदि किसी प्रकार की घटना अस्तित्व में रही हो क्या अभियोजन इसे पत्रावली पर उपलब्ध कराए गये साक्ष्यों से युक्ति युक्त ढ़ग से सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है? इस सम्बन्ध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

11– साक्षी पी0डब्लू0–1 बख्तावरउल हनीफ वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 20.08.2014 को साक्षी हमराहियान प्रधान आबकारी सिपाही जगवीर सिंह, महेशबाबू व आबकारी सिपाही, सनक सिंह, अनिल तिवारी, हनीफउल्ला, श्रीमति रिंकूदेवी, आ0सि0 राजेन्द्र सिंह, आबकारी सिपाही मनोज कुमार, अलीशेर, पवन सिंह के साथ अवैध शराब की मुखविरी होने पर गांव सांथलपुर की बीच वाली मढ़ैया थाना आदमपुर जिला अमरोहा पहुंचे जैसे ही मेरी टीम 14.45 बजे ग्राम में ऊदल पुत्र राम सिह जाटव, अमर सिंह पुत्र राम सिंह, शीशपालसिंह पुत्र होराम सिंह, वीर सिंह पुत्र

होराम सिंह के घर के पास पहुंचे तो वहॉ पहले से उपस्थित करीब 15. 20लोगों ने टीम पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों में से ऊदल, राजू, ने अपने हाथों में तमंचों से आबकारी टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिससे हम आबकारी वाले बाल–बाल बचे तभी इन सभी लोगों ने हमारी टीम पर लाठी डन्डों व ईट रोड़ों से मारपीट करने लगे जिससे आबकारी सिपाही मनोज कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गये जिसे हम वहॉ से तुरन्त जिला अस्पताल अमरोहा में भर्ती कराया। उसके बाद मैं थाना आदमपुर पहुंचा और मैंने आदमपुर पर मुकदमा कायम कराने हेतु स्वयं लिखकर तहरीर दी। तहरीर कागज संख्या 4क/2 पत्रावली पर है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मैं घटना के समय आबकारी निरीक्षक अमरोहा के पद पर तैनात था। इस क्षेत्र में मैं सन 2014से 2018 के प्रारम्भ तक रहा। मैं फरवरी 2018 तक रहा। घटना के समय मेरे साथ आबकारी स्टाफ से कार्यालय प्रधान आबकारी का0 जगवीर सिंह, महेश कुमार, सनक सिंह, हनीफउल्ला, श्रीमति रिंकू देवी आदि तैनात थे। हमारे यहॉ जी0डी0 नहीं चलती है इसलिये जब हम दबिश देने जाते है तो लिखा पढ़ी करके नहीं जाते है। दबिश हम मुखबिरी के आधार पर देते है जिसके लिए आबकारी अधिकारी स्वयं सक्षम है। घटना वाले दिन हम 12 बजे के करीब आबकारी क्षेत्र 2 गजरौला के लिए चले थे वहॉ से क्षेत्र का स्टाफ लिया जहॉ से हमें मुखविर द्वारा सूचना मिली और आदमपुर क्षेत्र में अवैध शराब बनाने वालों की तलाश में गये थे। 20 अगस्त 2014 को मैं डुयूटी पर था गजरौला से हम एक सवा बजे चले थे। गजरौला से हम सीधे घटना स्थल पर गये थे। मुखबिर हमें ढवारसी के पास मिला था। मुखविर आम या खास था इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुखविर हमारे साथ नहीं गया था। मुखविर ने यह बता दिया था कि कहॉ कहॉ शराब तोड़ी जा रही है। हमारे टीम में कुल कितने लोग थे उत्तर–करीब दस लोग थे। पूरी टीम एक साथ दविश देती है और एक साथ ही रहते है। घटना स्थल पर दर्शित उदल, अमर सिंह, शीशपाल का मकान कितनी मंजिल है, ध्यान नहीं है। मकान कुछ कच्चे थे कुछ पक्के थे इन घरों के आंगन में किस किस चीज के पेड़ खड़े है। यह ध्यान नहीं है। इनके मकानों में कितने कमरे बने है यह ध्यान नहीं है। उदल के मकान का सदर दरवाजा उत्तर की तरफ था अमर सिंह के मकान का दरवाजा किस तरफ था ध्यान नहीं है। शीशपाल व वीर सिंह के मकान का सदर दरवाजा किस रूखा है। यह भी ध्यान नहीं है। उपरोक्त

मकानों की चार दीवारी कितनी–कितनी ऊंची थी यह ध्यान नहीं है। इन मकानों के दरवाजे घटना के समय खुले थे या बंद थे यह ध्यान नहीं है। इन मकानों के दरवाजे लोहे के थे या लकड़ी के थे यह भी ध्यान नहीं है। घटना स्थल पर जिस रास्ते पर मकान बने है वह रास्ता पूरब पश्चिम है। वह रास्ते उस समय कच्चा रोड था। हमने अपनी गाड़ी कच्चा स्थल से अलग ढबारसी रोड पर खड़ी की थी। घटना स्थल पर कुछ लोग हमारे पहुंचने से पहले से ही थे। पहले से वहॉ करीब 10–12 लोग थे। घटना स्थल पर 15–20 मिनट फायरिंग हुई थी, साथ ही लाठी डन्डे भी चले थे। हम अपने साथ थाना आदमपुर पुलिस नहीं ले गये थे न हमने कच्चा स्थल से थाना आदमपुर पुलिस को सूचना दी थी। हमारी टीम को कोई आर्मस फायर की चोट नहीं आयी थी। मेरे कोई लाठी डन्डो की भी चोट नहीं आयी थी। चोट केवल मनोज कुमार को आयी थी इसके अलावा किसी को कोई चोट नहीं थी। यह घटना दविश करने से पूर्व ही हो गयी थी। घटना कारित करने वाले लोग नशे में नही थे। न ही पागल थे। दविश देने से पहले हमने उस गांव के प्रधान को सूचित नहीं किया था मैं गांव साथलपुर आता जाता नहीं हूॅ। मैं इस गांव में करीब आधा घंटा रूका था। हम दविश में अपना दविश बैग साथ लेकर गये थे। हमारे पास केवल सरकारी रिवाल्वर था अन्य किसी पर कोई हथियार नहीं था। हमने अपने बचाव में कोई फायर नहीं किया था। फायर करने कोई आवश्यकता नहीं समझी। साथलपुर गांव वालों से हमारी कोई रंजिश नहीं थी। घटना स्थल से आदमपुर 7.8 किमी हसनपुर करीब 20 किमी पड़ता है। अमरोहा कितनी दूर है यह सही पता नहीं है। घटना स्थल से हसनपुर नजदीक है अमरोहा दूर है। हमने घायल मनोज को प्राथमिक चिकित्सा हसनपुर में नहीं दिलवायी थी जिला अस्पताल अमरोहा में दिलवायी थी। घटना स्थल पर खून गिरा था या नहीं, यह ध्यान नहीं है। खून गिरने वाली बात दरोगा जी ने नहीं पूछी थी। न ही मैंने दरोगा जी को बतायी थी। घटना स्थल का निरीक्षण मैंने कराया था किस दिन कराया था यह ध्यान नहीं है। हमने अपनी तहरीर व बयानों में मुल्जिमानों की कद काठी व उम्र आदि के बारे में नहीं बताया था। न ही दरोगा जी ने हमसे शिनाख्त कार्यवाही करायी थी। हमने तहरीर में नाम हमराहीयान के बताने पर लिखे थे। तहरीर में हमने चार पांच नाम लिखाये थे बयानों में भी मैंने चार पांच नाम बताये थे। 15–20 कुल बताये थे। यह कहना गलत है कि हमने अभियुक्तगण को उनकी गांव की पार्टीबंदी व चुनाव के कारण बिचालियों से मिलकर फसाया हो तथा ऐसी कोई घटना न घटी हो। यह कहना गलत है कि का0 मनोज को कही दविश के दौरान भागते दौड़ते या भागते हुए दीवार कूदने के कारण चोट लगी हो।

साक्षी पी0डब्लू0–2 अतर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 20.08.2014 को दोपहर पौने 3 बजे मैं अपने घर पर नहीं था। किसी कार्य से हसनपुर आया हुआ था। मेरे सामने मेरे ही गांव के ऊदल के घर पर आबकारी विभाग की टीम ने छापा नहीं मारा था। मुझे इस बात की जानकारी नही है कि ऊदल के घर कच्ची शराब बनती है। मेरे सामने ऊदल के घर राजू, धर्म सिंह, मदन व सुभाष ने शराब नही पी थी और ना ही आबकारी विभाग की टीम पर हथियारों से लैस होकर हमला बोला था न ही ईट पत्थर बरसाये थे और ना ही जान से मारने की नियत से टीम पर किसी ने फायर किया था। **अभियोजन के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना वाले दिन मैं हसनपुर किस काम से गया था और किस समय आया था मुझे नही पता। मेरे घर से ऊदल का घर आधा किलोमीटर दूर है सभी मुल्जिमान ऊदल, मदन, सुभाष, राजू व धर्म सिंह को जानता हूँ। मेरे गांव के है। मेरे परिवार का कोई नहीं है ना ही मेरे घनिष्ठ सम्बंधी है। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान हमारे गांव के होने नाते मैं सही बात नही बता रहा हूँ।

साक्षी पी0डब्लू0–3 नितिन कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 20.08.2014 को मैं थाना आदमपुर में आरक्षी लिपिक के पद पर कार्यरत था। उसी दिन आबकारी निरीक्षक बख्तावर उल हनीफ क्षेत्र अमरोहा के द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा समय 19.23 बजे अ0सं0 435 सन 2014 धारा 147,148,149,323,336,332,333,353,307 भा0दं0सं0 बनाम ऊदल आदि की एफ0आई0आर0 लिखी गयी। एफ0आई0 आर0 पत्रावली पर मौजूद है। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। इस मुकदमें का खुलासा उसी दिन मूल जी0डी0 में जी0डी0 रपट नं0 41 समय 19.30बजे मेरे द्वारा किया गया। मूल जी0डी0 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी कार्बन प्रति पत्रावली पर मौजूद है जो मूल जी0उी0 के साथ कार्बन लगाकर एक ही प्रक्रिया से तैयार की गयी। जी0डी0 की प्रति पर प्रदर्श क–3 डाला गया।

इस साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मैंने पहले पुश्त लिखी थी। पुश्त मैंने समय 19.30बजे लिखी थी उसके बाद जी0डी0 में खुलासा किया था। जी0डी0 भी मेरे द्वारा 19.30बजे लिखी गयी थी। पुश्त लिखने में 10 से 15 मिनट लगे हो। उसके बाद जी0डी0 लिखी थी। जी0डी0 लिखने में भी

10 से 15 मिनट लगे होगे। जी0डी0 व पुश्त लिखने का समय एक ही है। इस मुकदमें से पहले व बाद में मैने किस धारा व किस मुल्जिम के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया यह मुझे ध्यान नहीं है। वादी मुकदमा के साथ मुल्जिम आये थे अथवा नहीं आये थे। इस समय मुझे ध्यान नहीं है। यह भी मुझे ध्यान नहीं है कि जिस कास्टेबिल के चोट लगना बताया है वह थाने आया था अथवा नहीं मुझे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा समय विपरीत उच्चाधिकारियों के दबाव में एफ0आई0आर0 पंजीकृत की गयी हो।

साक्षी पी0डब्लू0–4 महेश बाबू प्रधान आबकारी सिपाही ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 20.08.2014 को मैं आबकारी क्षेत्र–1 अमरोहा में हेड कास्टेबिल के पर पर तैनात था । उसी दिन मैं अपने विभाग के आबकारी निरीक्षक बख्तावरउल हनीफ व हेड कांस्टेबिल जगवीर सिंह व का0 सनक सिंह व का0 अनिल तिवारी, का0 हनीफउल्ला, महिला कास्टेबिल रिंकू व आकारी क्षेत्र–2 के कास्टेबिल राजेन्द्र सिंह व का0 मनोज कुमार का0 अलीशेर, का0 पवन सिंह के साथ मुखवीर की सूचना पर अवैध शराब की बरामदगी हेतु गांव साथलपुर बीच वाली मडैया थाना आदमपुर में पहुंचे जैसे ही हमारी टीम समय करीब 14.45 बजे गांव के उदल पुत्र होराम सिंह के धर जाकर दविश दी वहॉ पर पहले से ही उदल, रामू, कर्मसिंह, मदन, सुभाष व अन्य लोग शराब पी रहे थे। उदल के परिवार के बच्चे व महिलाये भी अन्दर थे। हमारी टीम ने दविश डाल तो हमारे ऊपर इन सभी लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उदल व राजू ने जान से मारने की नियत से हम लोगों के ऊपर फायर किये जिससे हम लोग बाल–बाल बच गये। मौके पर 10–15 लोग ओर भी थे। जो हमारे कार्य में बाधा डाल रहे थे। इन लोगों ने हमारे ऊपर ईट पत्थर बरसाये तथा लाठी डन्डों से हमारे ऊपर हमला किया जिससे कास्टेबिल मनोज कुमार को चोटे आयी। हम मौके से मनोज कुमार को घायल अवस्था में लेकर अमरोहा गये। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद दरोगा जी ने मुकदमा लिखाया था।

दिनांक 05.08.2024 को पुनः इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में यह कथन किया है कि मैं थाना आबकारी विभाग सर्किल प्रथम अमरोहा में जुलाई 2011 से जुलाई 2016 तक कार्यरत था। घटना के समय में HC के पद पर तैनात था। घटना के समय हम सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे उनके नाम जगवीर सिंह हैड कॉ०, महेश बाबू हैड० कॉस्टेबिल, अनिल तिवारी कॉ० हनीफ उल्ला, कॉ० सनक सिंह, कॉ० रिकूं सिंह, आदि लोग गये थे। जब हम लोग अपने ऑफिस से कही जाते है तो कही रजिस्टर या जी०डी० इत्यादि में इन्द्राज नहीं करते है। जब हम गांव में गये थे तो हम उदल के

घर गये थे। उदल का मकान कितनी मंजिल है मुझे जानकारी नहीं है। किस दिशा में कितने कमरे बने है मकान के अन्दर पेड़ भी है। मुखविर हमारे ठेके वाले आदमी थे। मुखविर आम व खास की मुझे जानकारी नहीं है। घ ाटनास्थल पर हम पौने 3 बजे पहुंचे गये थे हम वहां बुलैरों गाड़ी से गये थे उस गाड़ी का नम्बर मुझे याद नहीं हैं। हम अपने ऑफिस से लगभग 1 या 1:15 बजे निकले थे। जब हम उदल के मकान पर गये थे तो मकान का दरवाजा खुला था। दरवाजा लकड़ी का था। दरवाजा 6 फुट का होगा। जब उदल के मकान के लिये किस दिशा में जाता है मुझे याद नहीं है। रास्ता कच्चा व खड़ंजा था। जब हम उदल के मकान पर पहुंचे तो लगभग 15 से 20 मिनट तक रोढा/ पत्थर वरसा होगा। हमारी टीम ने कोई फायर नहीं किया था। हम उस गांव में लगभग 15 से 20 मिनट तक रूके थे। मुझे जानकारी नहीं है कि हमने किस किस घर की तलाशी ली थी। जब रोढे/ अध्धे/ पत्थर बरसे थे तब हमे चोटें नहीं आयी थीं मनोज कुमार को आयी थी। बाद में कहा कि मनोज कुमार के सिर में लाठी मार दी थी। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे थे तब कॉफी भीड़ एकत्रित हो गयी थी। मुल्जिमानों को हम पहले से नहीं जानते थे। मुल्जिमानों की उम्र, कद काढी की मुझे जानकारी नहीं है। इन मुल्जिमानों के नाम हमें गांवो ने ही बताये थे। किन गांव वालों ने बताये थे उनके नाम हमें याद नहीं है। घटनास्थल से थाने की दूरी कितनी थी मुझे ध्यान नहीं है। मुल्जिमानों से मौके पर कच्ची शराब बरामद खाम बरामद हुई थी। किस मुल्जिम से बरामद हुई थी इसकी जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना न घटी हो और मैं। मौके पर न गया हों। यह कहना गलत है कि जो भी बयान मैंने न्यायालय में दिया है वो आबकारी विभाग में होने के नाते घटना को बल देने के लिये झूठा दिया है।

साक्षी पी0डब्लू0–5 का0 मनोज कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 20.08.2014 को मैं धनौरा क्षेत्र संख्या 2 में तैनात था उस दिन मैं अपने इंचार्ज बख्तावरउल हनीफ आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–1 अमरोहा के साथ व आबकारी टीम के साथ दबिश के लिए ग्राम साथलपुर की बीच वाली मढ़ैया में मुखबिर द्वारा दी गयी अवैध शराब बनाने की सूचना पर उदल के घर पर पहुंचे और दबिश दी तो वहॉ पर उदल व राजू व 5–6 अन्य व्यक्ति शराब पी रहे थे और उदल के परिवार की महिलाये घर के अन्दर थी जैसे ही हमने दविश दी तो इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और उदल व राजू ने जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर फायर कर दिया और लाठी डन्डों से मारपीट की और शोर शराबा तथा फायर की आवाज पर वहॉ पर गांव के काफी लोग इकट्ठा हो गये थे। लोग हमें

सरकारी कार्य करने से रोक रहे थे और बाधा उत्पंन कर रहे थे और 10–15 लोग उदल व उसके साथियों के साथ विरोध कर रहे थे। उन लागों द्वारा मेरे ऊपर किये जान लेवा हमले में गम्भीर रूप से घायल हो गया और खून से लथपथ हो गया। मेरे साथ वालों ने मुझे सरकारी अस्पताल अमरोहा में भिजवाया था जहॉ पर मेरा ईलाज हुआ था। घटना के समय जो लोग घटना में शामिल थे वह 5–6 लोग थे अन्य लोग केवल तमाशा देख रहे थे और शोर शराबा कर रहे थे। बाद में मुझे घटना करने वालों लोगों के नाम पता चले। उदल, राजू, धर्मसिंह, सुभाष एवं मदन सिह थे जो वहॉ पहले से शराब पी रहे थे। इस घटना में मेरे गम्भीर चोटें आयी और मेरा काफी लम्बे समय तक ईलाज चलता रहा और घटना में आयी चोटों के कारण मैं आज भी ठीक नहीं हूॅ। मेरा अभी भी ईलाज चल रहा है। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मैं थाना आबकारी विभाग सर्किल–द्वितीय में जून 2014से सन 2021 तक कार्यरत रहा। घटना से पहले साथलपुर की मढ़ैया में आता जाता नहीं था। अभियुक्तगण से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। जिस समय घटना स्थल पर पहुंचे थे वहॉ 5–6 लोग थे। घटना स्थल घर के अन्दर का है। वहॉ महिलायें भी थी। घटना स्थल पर टीम गयी थी। 10–15 लोग थे। कुछ का नाम जानता हूॅ। कुछ का नाम नहीं जानता हूॅ। सरकारी गाड़ी से गये थे। गाड़ी नम्बर ध्यान नहीं है। आबकारी विभाग की जी0डी0 पर कोई रवानगी नहीं होती है। मेरे सीनियर को मुखबिर द्वारा सूचना कहा मिली थी, मुझे जानकारी नहीं है। घटना स्थल अन्दर घर का है। दरवाजा किस रूखा है जानकारी नहीं है। लकड़ा का था या दरवाजा लोहे का इस समय ध्यान नहीं है। घटना स्थल के पूरब, पश्चिम, उत्तर दक्षिण किसका मकान है, ध्यान नहीं है। घटना स्थल पर मैं दरवाजे से गया था। महिलाओं के साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की थी। जब हम घटना स्थल पर पहुंचे शोर शराबा हुआ, काफी लोग आ गये थे सिर में चोट लगने के कारण मैं बेहोश हो गया था। कौन किधर भागा मुझे नहीं पता। मैं राजू, उदल का नाम पहले से नहीं जानता था। किसने बताये यह नहीं बता सकता। मेरे चोट किस मुल्जिम ने मारी मैं यह नहीं बता सकता। मुल्जिमों के नाम अधिकारियों ने जानकारी करके बताये थे। मेरे चोट बांये हाथ की कोहनी व बाजू व जांघ में आयी थी। मेरे चोटों का मेडिकल हुआ था। मेडिकल को कौन लेकर गया था इस समय ध्यान नहीं है। फायर करने वालों के नाम नहीं जानते है। मेरे कोई फायर नही लगा। यह कहना गलत है कि हमने महिलाओं के साथ बदतामीजी की थी। यह कहना गलत है कि महिलाओं से बचने के लिए हमने दीवार कूदी हो और दीवार से गिरने के

कारण हमारे चोटें आयी हो। यह कहना गलत है कि अपराध से बचने के लिए उल्टा मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया हो।

साक्षी पी0डब्लू0–6 निरीक्षक उमाशंकर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 26.08.2014 को मैं थाना आदमपुर में एस०आई० के पद पर तैनात था। उस दिन मुझे मु०अ०सं० 435/2014, धारा 147,148,149,332,353,336,333,323,307 भा०द०सं० व 7 सी०एल०एक्ट बनाम उदल आदि थाना आदमपुर की विवेचना पूर्व विवेचक महोदय से ग्रहण की थी विवेचना ग्रहण करने के उपरांत मेरे द्वारा विवेचना ग्रहण करने सम्बन्धित आदेश की नकल सी०डी० की गयी। दिनांक 01.10.2014 को मेरे द्वारा पूर्व विवेचक महोदय एस०आई० सतेन्द्र सिंह द्वारा किता की गयी सी०डी० का अवलोकन किया गया। दिनांक 15.10.2014 को मेरे द्वारा गवाह जगवीर सिंह पुत्र खडग सिंह, महेश बाबू पुत्र हरप्रसाद, सनक सिंह पुत्र मिश्रीलाल, अनिल तिवारी पुत्र हरप्रसाद तिवारी, व हनीफउल्ला पुत्र शरीफउल्ला के बयान अंकित किये गये सभी गवाहन ने घटना का समर्थन किया दिनांक 17.10.2014 को मेरे द्वारा गवाह मनोज कुमार पुत्र बुद्धि प्रकाश व पवन कुमार पुत्र भगवन्त सिंह, श्रीमति रिकू पत्नी तेजपाल सिंह, अली शेर पुत्र अब्दूल अजीज, के बयान अंकित किये सभी गवाहान ने प्रथम सूचना रिपोर्ट व घटना का समर्थन किया दिनांक 25.10.2014 को सी०डी० 11 मेरे द्वारा स्वतंत्र गवाह अशोक कुमार पुत्र श्रीराम किशोर, अतर सिंह पुत्र श्री रामचर सोमपाल पुत्र चरनसिंह, ध्यानसिंह पुत्र कन्हैया, अभय सिंह पुत्र रतन सिंह, सुन्दर सिंह पुत्र गोपाल, के बयान अंकित किये गये। दिनांक 29.10. 2014 को सी०डी० 12 में स्वतंत्र गवाह राजवीर सिंह पुत्र जबर सिंह, सूरजभान सिंह पुत्र बुद्धा सिंह, बलेश कुमार पुत्र तेजपाल, नौबाहर सिंह पुत्र प्यारेलाल, गुरुप्रसाद पुत्र स्वराज सिंह, के बयान अंकित किये गये। दिनांक 01.11.2014 को सी०डी० 13 में करन सिंह पुत्र बल्लू सिंह, आनन्द पुत्र सरजीत, लाल सिंह पुत्र हीरा सिंह, नेतराम पुत्र केवल सिंह, खेमचन्द्र पुत्र भोजा, के बयान अंकित किये गये। सभी गवाह में अभियुक्त उदल द्वारा कच्ची शराब तोड़ने, बेचने व घर पर पिलाने का काम करने की बात कही और चैकिंग करने वाली टीम पर लाठी–डंडे व ईंट पत्थर से मारने पीटने व उदल व राजू द्वारा जान से मारने की नियत से फायर करने की बात बताई दिनांक 02.11.2014 को स्वतंत्र गवाह नन्हें पुत्र पूरन सिंह, विजय पुत्र रामचरन, ब्रहमपाल पुत्र करन सिंह के बयान अंकित किये गये। पूर्व विवेचक एस०आई० सतेन्द्र सिंह द्वारा की गयी विवेचना उसके उपरांत मेरे द्वारा की गयी विवेचना में बयान गवाहान व सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर दिनांक 14.11.2014 को अभियुक्त उदल, राजू धर्मसिंह, सुभाष, मदन के विरूद्ध आरोपपत्र संख्या

274/2014अन्तर्गत धारा147,148,149,332,353,336,333,323,307 भा०द०सं० व 7सी०एल०एक्ट न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोपपत्र पत्रावली में मेरे सामने मौजूद है मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। पहचानता हूं व साबित करता हूं आरोप–पत्र पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

इस साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मैं नहीं बता सकता कि मैं थाना आदमपुर में किस दिनांक से किस दिनांक तक रहा था। मुझे विवेचना दिनांक 26.09.2014 को मिली थी। यह घटना सांथलपुर की बीच वाली मैढयों की है। विवेचना के दौरान मैं वहां कई बार गया था गिनती नहीं बता सकता। घटनास्थल बीच गांव का है। मैंने वहां के ग्राम प्रधान से सम्पर्क किया था व पूर्व ग्रामप्रधान से भी सम्पर्क किया था। मैंने उनके बयान नहीं लिये थे। घटनास्थल के आसपास में शीषपाल, उदल, शिवचरन, के मकान है। घटनास्थल का नक्शा नजरी पूर्व विवेचक द्वारा बनाया गया था। मेरे द्वारा मुल्जिमानों की गवाहों से शिनाख्त परैड नहीं करायी गयी थी। न ही पूर्व विवेचक द्वारा शिनाख्त परैड का कोई उल्लेख सी०सी० व जी०डी० में नहीं है। इस घटना में कुल 10 से 12 पुलिसकर्मी सम्मलित थे। वे आबकारी विभाग से थे। मेरे द्वारा घटना में सम्मलित कर्मचारियों व पुलिसकर्मियों के मोबाईलों की कोई मोबाईल लोकेशन नहीं निकलवायी गयी थी। बयान लिये गये थे। मैंने मोबाईल लोकेशन इसलिये नहीं निकालवायी थी क्योंकि उनका कोई विशेष औचित्य नहीं था। मुझे घटनास्थल से मौके से कुछ नहीं मिला था। आबकारी विभाग का मनोज नाम का बन्दा घायल हुआ था। उसका ईलाज जिस डॉक्टर से चला था उस डॉक्टर के बयान मेरे द्वारा नहीं लिये गये थे। आबकारी टीम के कार्यालय से उनकी जी०डी० रवानगी मुझे प्राप्त नहीं हुई थी ना ही मैंने देखी थी पूर्व विवेचक को मिली होगी। मेरे द्वारा पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना में केवल केस डायरी का अवलोकन मेरे द्वारा किया गया था। अन्य प्रपत्रों का अवलोकन नहीं किया गया था। आबकारी टीम अपने कार्यालय से किस समय रवाना हुई थी यह मुझे जानकारी नहीं है। इनकों मुखविर किस स्थान पर मिला यह भी जानकारी मुझे नहीं है। मुखविर से इनका किस प्रकार सम्पर्क हुआ था यह भी मुझे जानकारी नहीं है। आबकारी टीम किस वाहन से घटनास्थल पर पहुंची थी यह भी मुझे जानकारी नहीं है। मैंने स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये थे। यह सभी गवाह सांथलपुर की मैढ़यों के आस पास के ही थे। जो मैंने पब्लिक के गवाहों के बयान लिये थे उनमें कोई भी चक्षुसाक्षी नहीं था। मेरे द्वारा घायल पुलिसकर्मी मनोज के कपड़े नहीं लिये गये थे। मुझे जानकारी नहीं है कि पूर्व विवेचक द्वारा घायल व्यक्ति मनोज कुमार के कपड़े लिये गये थे अथवा नहीं।

केस डायरी में इसका उल्लेख नहीं है। **मेरे द्वारा कोई भी तमंचा बरामद नहीं हुआ था क्योंकि मुझसे पूर्व ही उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी और न ही पूर्व विवेचक द्वारा किसी अभियुक्त से तमंचा बरामद करने का केस डायरी या जी०डी० में उल्लेख है।** मैंने सांथलपुर की रहने वाली किसी महिला का कोई बयान अंकित नहीं किया था। मुझे जानकारी नहीं है कि घटनास्थल जिस मकान का है उसमें गेट लगा है अथवा नहीं। उस मकान की दीवारें कितनी ऊंची है यह भी मुझे जानकारी नहीं है। मकान एक मंजिल है अथवा दो मंजिल है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। आबकारी टीम द्वारा वहां की महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी नहीं की गयी थी। क्योंकि अभियुक्तगणों ने ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगाया गया था इसलिये मैंने महिलाओं से बदतमीजी के संमंध में गवाहों से कोई प्रश्न नहीं पूछे थे। जिस समय मुझे विवेचना प्राप्त हुई थी उस समय करीब 16 से 17 अभियुक्त प्रकाश में थे। मैंने चार्जशीट 05 अभियुक्तों के खिलाफ लगायी थी और बाकी अभियुक्तों के नाम विवेचना में मेरे द्वारा निकाल दिये गये थे। आबकारी विभाग के कर्मचारियों से मैंने यह जानकारी नहीं की थी आप अभियुक्तों को पहले से जानते थे अथवा नहीं,। आबकारी विभाग के किस पुलिसकर्मी के पास कौन सा हथियार था यह भी मैनें जानकारी नहीं की थी। मैं आबकारी टीम कार्यालय में विवेचना के दौरान नहीं गया था। मैंने किस गवाह के बयान किस दिनांक को लिये थे यह भी मुझे ध्यान नहीं है। आबकारी टीम अलग अलग कार्यालय से थे।यह कहना गलत है कि मैं जैसी घटना बता रहा हूं ऐसी कोई घटना न घटी हो। यह कहना भी गलत है कि मैंने वादी मुकदमा से मिलकर गलत विवेचना की हो तथा अभियुक्तों को झूठा फंसाकर झूठा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया हो।

साक्षी पी0डब्लू0–7 निरीक्षक सतेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 21.08.2014 को मैं थाना आदमपुर में एस०आई० के पद पर तैनात था। उस दिन मुझे मु०अ०सं० 435/2014, 147,148,149,332,353,336,333,307भा०द०सं० 7 सी०एल०ए०एक्ट बनाम ऊदल आदि थाना आदमपुर की विवेचना प्राप्त हुई थी विवेचना ग्रहण करने के उपरांत सी०डी० प्रथम, मेरे द्वारा नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक सी०सी० अंकित चौधरी अंकित किये गये तथा उसी दिन मेरे द्वारा वादी मुकदमा बक्तावरूल हनीफ (आबकारी निरीक्षक क्षेत्र प्रथम अमरोहा) के बयान अंकित किये गये जिन्होने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया। उसी दिन मेरे द्वारा फर्द के गवाह राजेन्द्र सिंह (प्रधान आबकारी सिपाही क्षेत्र द्वितीय) के बयान अंकित किये गये और इन्होंने भी घटना का समर्थन किया । मेरे द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर

निरीक्षण घटनास्थल किया गया व नक्शा नजरी तैयार किया गया। नक्शा नजरी पत्रावली में मेरे सामने मौजूद है मेरे लेख व हस्ताक्षर में मौजूद है नक्शानजरी पर प्रदर्श क–5 डाला गया। उसी दिन मेरे द्वारा समाई साक्ष्य मुन्नी पुत्र भोजराज, रामौतार पुत्र पूरन अंकित किया गया। दिनांक 22.08. 2014 को सी०डी० 2 में वांछित अभियुक्तगण सुभाश पुत्र ओमप्रकाश जाटव धर्मसिंह पुत्र सुखाराम् व मदन पुत्र गंगाराम जाटव को गिरफ्तार कर उनके बयान अंकित किये गये अभियुक्तगण ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुये गलती की माफी मांगी और न्यायालय में सफाई देने की बात कही। दिनांक 25.08.2014 व 30.08.2014 को सी०डी० 3 व सी०डी० 4 में शेष वांछित अभियुक्तगणों को तलाश किया गया किन्तु नहीं मिले। दिनांक 09.09.2014 को सी०डी० 5 में अभियुक्तगण उदल व राजू का न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का रोबकार प्राप्त हुआ जिसकी नकल सी०डी० की गयी। उस दिन मुझे घायल मनोज कुमार की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका अवलोकन कर नकल सी०डी० की गयी। दिनांक 15.09.2014 को सी०डी० 6 में अभियुक्त उदल पुत्र होराम व राजू पुत्र वीरसिंह, के बयान जिला कारागार मुरादाबाद में न्यायालय की अनुमति से लिये। दोनों अभियुक्तगणों ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुये गलती की माफी मांगी। इसके बाद विवेचना अन्य विवेचक महोदय को स्थानान्तरित हो गयी थी।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि थाना आदमपुर में मैं किस दिनांक से किस दिनांक तक रहा यह मुझे याद नहीं है। परन्तु किस दिन यह मुकदमा पंजीकृत हुआ उस दिन मैं थाना आदमपुर में तैनात था। मुझे यह विवेचना दिनांक 21.08.2014 को मिली थी। घटना स्थल साथलपुर की मढैया का है। विवेचना के दौरान मैं लगभग 5 बार मैं साथलपुर की मढ़ैया गया। घटनास्थल गांव के अन्दर का तिराहे का है। मैने घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया है। घटनास्थल पर मौके पर किस किस के मकान है अब मुझे ध्यान नहीं है। ऊदल के मकान पर गये थे। ऊदल का मकान उस समय एक मंजिला था। ऊदल के मकान को गेट किस दिशा में है अब मुझे ध्यान नहीं है। उस समय ऊदल के मकान का गेट लकड़ी का था। अब मेरे ध्यान नहीं है कि चार दीवारी कितनी ऊंची थी । ऊदल के आंगन में किस किस चीज के पेड़ खड़े है अब मुझे ध्यान नहीं है। आबकारी पुलिसकर्मी कुछ मुल्जिमानों को पहले से जानती थी। मेरे द्वारा मुल्जिमानों की गवाहों से शिनाख्त परेड नहीं करायी गयी थीं। मैंने सी०डी० व जी0डी० में यह भी दर्ज नहीं कराया गया था क्योंकि आबकारी पुलिसकर्मी उनको पहले से जानते थे। इस घटना में कुल 9 से 10 पुलिसकर्मी शामिल थे। मैंने आबकारी

पुलिसकर्मियों की लोकेश नहीं निकलवाई थी। क्योंकि ऐसी दबिश में अक्सर पुलिस अपना फोन बंद कर लेती है जिससे की उनकी लोकेश कोई ऑउट न कर ले। मुझे घटनास्थल से कोई समान नहीं मिला। इस घटना में कॉ० मनोज घायल हुये थे। उसका ईलाज जिला अस्पताल अमरोहा में हुआ था। उसके बयान अन्य विवेचक द्वारा लिये गये थे मैंने नहीं लिये थे। मैंने आबकारी विभाग की जी०डी० रवानगी नहीं बनाई थी। आबकारी टीम किस वाहन से घटनास्थल पर पहुंची थी मुझे ध्यान नहीं है। चोटिल के कपडे मैंनें कब्जे में नहीं लिये थे। जिस समय मुझे विवेचना मिली थी उस समय लगभग 15 आदमी वादी के बयानों में प्रकाश में आये थे।यह कहना गलत है कि मैंने आबकारी टीम से मिलकर थाने पर बैठकर फर्जी विवेचना की हो। यह कहना भी गलत है कि मैं घटनास्थल पर नहीं गया हूं और न ही घटनास्थल का निरीक्षण किया हो।

साक्षी पी0डब्लू0–8 डॉ0 चन्द्रपाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 20.08.2014 को में उक्त पद पर तैनात था उस दिन मेरे पास घायल मनोज कुमार पुत्र बुद्धप्रकाश उम्र करीब 28 वर्ष तैनाती जिला आबकारी विभाग अमरोहा को मेडिकल परीक्षण हेतु जिला आबकारी विभाग के कर्मचारी अलीशेर द्वारा लाया गया था मेरे द्वारा उक्त घायल का मेडिकल परीक्षण 4.35 पी0एम0 पर किया गया था ।

घायल के शरीर पर निम्न चोटे–

1– लाल नीलगू सुजन के साथ दांयी तरफ सिर में पीछे की तरफ थी जिसका आकार 4 cm x 2.5 cm जोकि दाहिने कान से 8cm दूरी पर थी चोट को जेरे निगरानी में रखा गया तथा एक्स रे की सलाह दी गयी।

2– लाल नीलगू सुजन के साथ दाहिने कंधे पर पीछे की तरफ थी जिसका आकार 6.5cm x 2.5 cm जिसको जेरे निगरानी में रखा गया व एक्स–रे की सलाह दी गयी।

3. लाल नीलगू सुजन के साथ बायी कोनी में थी जिसका आकार 6cm x 3cm था जिसको जेरे निगरानी में रखा गया व एक्स–रे की सलाह दी गयी।

4. लाल नीलगू सुजन के साथ बायी जांघ में सामने की तरफ थी जिसका आकार 14cm x 3cm था मेरी राय में सभी चोटे किसी सख्त कुंद वस्तु से आना सम्भव थी चोट नं० 1,2,3 को जेरे निगरानी में रखा गया तथा एक्स–रे की सलाह दी गयी थी। चोट न० 4 साधारण प्रकृति की थी। मेरी राय में सभी चोटे ताजा थी। मेरे द्वारा घायल की मेडिकल रिपोर्ट उसी दिन तैयार की गयी थी मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है मेरे लेख व हस्ताक्षर में है पहचानता हूं व साबित करता हूं मेडिकल रिपोर्ट पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मनोज मेरे पास शाम के समय आया था समय इस समय ध्यान नही है उसके साथ शेर अली नाम का व्यक्ति आया था इसके पास एक मजरूबी चिट्ठी थी लेकिन वह चिट्ठी पत्रावली में नहीं है न ही मैने उसका पहचान के तौर पर कोई आधार कार्ड नही लिया था। मनोज के कोई खुली चोट भी नहीं थी। उसने वर्दी पहन रखी थी या नही ये मुझे इस समय याद नही है उसके पहने हुए कपडे फटे हुए थे या नहीं यह मुझे याद नही। उसके पहने हुए कपडों पर कोई दाग धब्बा था या नही मुझे याद नही है। मैने कपडों से से संबधित तस्करा मेडिकल रिपोर्ट में भी नहीं किया। सारी चोटे नीलगू है। नीलगू चोटों का निशान चोट लगने के 14 दिन के बाद समाप्त हो जाता है। सारी चोटे आयताकार (लम्बाई) में थी सबका आकार अलग अलग था। इन चोटों पर छिलन नहीं थी चोटो का रंग लाल था लाल निशान चोट लगने के 1 से 2 दिन तक रहता है और उसके बाद रंग बदलने लगता है। मैं सी०एच०सी आदमपुर में तैनात नही था मैं जिला संयुक्त चिकित्सालय अमरोहा में तैनात था। मजरूबी चिट्ठी किस थाने से आयी थी मुझे याद नही है। चोट नं० 4 साधारण प्रकृति की थी चोट नं० 1,2,3 के एक्स–रे कराने की सलाह दी थी। मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे सलाह पर उन्होंने कोई एक्स–रे कराया या नहीं। लेकिन इस समय एक्स–रे या एक्स–रे रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद नहीं है। एक्स–रे हम चोट में तिंबजनतम जानने के लिए कराते है यदि एक्स–रे fracture नही आता है तो चोट नं० 1,2,3 भी साधारण प्रकृति की होती। ऐसी चोटें किसी ऊंची दीवार आदि के गिरने से या टकराने से भी आ सकती है। यह कहना गलत है कि मैंने वादी मुकदमा से हमसाज होकर उपरोक्त झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की हो ।

12– अभियोजन द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कुल 8 गवाह परीक्षित कराये गये हैं। घटना दिनांक 20.08.2014 की समय 14.45 बजे की है जिसकी थाने पर सूचना दिनांक 20.08.2014 को समय 19. 30 बजे दी गयी जिसके आधार पर अभियुक्तगण ऊदल व राजू एवं 15–20 व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा धारा 147,148,149,323,336,332,333,353, 307 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है दौरान विवेचना धारा 7 किमिनल लॉ एवेटमेन्ट एक्ट की वृद्धि गयी। अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में साक्ष्य दिया है। आबकारी टीम पर जान से मारने की नियत से हमला किया गया जिसमें आबकारी सिपाही चुटैल मनोज कुमार को गम्भीर चोटें आयी। विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है। अतः इन तथ्यों एवं परिस्थितियों

में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने की याचना अभियोजन द्वारा किया गया है।

13– दौरान बहस बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि एफ.आई.आर. बिलम्ब से लिखायी गयी है। इस बिलंब का कोई कारण नही दिया गया है तथा साक्षीगण द्वारा के बयानों में विरोधाभास है। घटना का हेतुक भी नहीं बताया गया है और ना ही साबित किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण निर्दोष हैं और उन्हें दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

14– उपरोक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया।

15– प्रस्तुत मामले में सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गयी है।

इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गयी है और विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने का कोई समुचित व सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी मुकदमा व गवाहान द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान व विवेचक द्वारा लिये गये बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को लगाये गये आरोपों से दोष मुक्त किया जाए।

16– अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कहा गया है कि वादी मुकदमा जो तहरीर दी गयी जिसमें दिनांक 20.08.2014 को समय 14.45 बजे दर्शायी है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20.08.2014 को समय 19.30 बजे दर्ज करायी गयी है जो 4 घंटे 45 मिनट विलम्ब से है तथा घटना से थाने की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है तथा घटना में घायल हुए का0 मनोज कुमार को अस्पताल ले जाने एवं कार्यवाही में समय लगना कहा गया है। अभियोजन साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन किया है। गवाहान के बयान अंकित कर प्रथम दृष्ट्या अपराध पाने जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित होते है।

17– पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर व चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा जो तहरीर दी गयी जिसमें दिनांक 20.08.2014 को समय 14.45 बजे दर्शायी है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20.08.2014 को समय 19.30 बजे दर्ज करायी गयी है जो 4 घंटे 45 मिनट विलम्ब से है तथा घटना से थाने की दूरी मात्र 8 किलोमीटर

है तथा घटना में घायल हुए का0 मनोज कुमार को अस्पताल ले जाने एवं कार्यवाही में समय लगना कहा गया है। इन परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

18– अब यह देखना है कि क्या अभियोजन अपने द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के माध्यम से अभियोजन कथानक को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नही? प्रस्तुत प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त के द्वारा कथित दिनांक, समय व स्थान पर कारित घटना को अभियोजन पक्ष प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य के माध्यम से सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

19– इस मामले में निम्न अवधार्य बिन्दुओं पर विचार करते हुए निष्कर्ष को प्राप्त किया जाना है–

1– कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में आबकारी विभाग की टीम पर हमला करने हेतु घातक हथियारों से लैस होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर आबकारी टीम पर हमला कारित किया तथा जान से मारने की नियत से तमंचों से फायर किये एवं आबकारी विभाग की टीम पर लाठी डन्डों व ईट रोड़ो से मारपीट की जिससे मनोज कुमार को उपहति कारित हुई तथा लोकसेवक आबकारी टीम जब अपने कर्तव्य के निर्वहन कर रहे थे तो उनके साथ मारपीट कर सरकारी कार्य करने से भयोपरत किया और आबकारी विभाग की टीम के सदस्यो पर ईट रोडे फेकें जिससे उनके व्यक्तिगण सुरक्षा एवं उनके जीवन को खतरा उत्पंन हुआ तथा फायरिंग की जिससे भंय व्याप्त हो गया?

2– क्या अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक, चिकित्सीय व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक को सन्देह से परे साबित किया गया है ?

<u>20–निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या–1:–</u>

अवधार्य बिन्दु संख्या–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में आबकारी विभाग की टीम पर हमला करने हेतु घातक हथियारों से लैस होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर आबकारी टीम पर हमला कारित किया तथा जान से मारने की नियत से तमंचों से फायर किये एवं आबकारी विभाग की टीम पर लाठी डन्डों व ईट रोड़ो से मारपीट की जिससे मनोज कुमार को उपहति कारित हुई तथा लोकसेवक आबकारी टीम जब अपने कर्तव्य के निर्वहन कर रहे थे तो उनके साथ मारपीट कर सरकारी कार्य करने से भयोपरत किया और आबकारी विभाग की टीम के सदस्यो पर ईट रोडे फेकें जिससे उनके व्यक्तिगण सुरक्षा एवं उनके जीवन को खतरा उत्पंन हुआ तथा फायरिंग की जिससे भंय व्याप्त हो गया ?

<u>21–निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या–2 –</u>

अवधार्य बिन्दु संख्या–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक, चिकित्सीय व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक को सन्देह से परे साबित किया गया है ?

उपरोक्त अवधार्य बिन्दु संख्या 1 व 2 एक दूसरे से सम्बन्धित है इसलिये सुविधा की दृष्टि से दोनों अवधार्य बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

22– साक्षी पी0डब्लू0–1 बख्तावरउल हनीफ वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए मौके पर अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित किया जाना साबित किया गया है।

जबकि इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मैं घटना के समय आबकारी निरीक्षक अमरोहा के पद पर तैनात था। इस क्षेत्र में मैं सन 2014से 2018 के प्रारम्भ तक रहा। मैं फरवरी 2018 तक रहा। घटना के समय मेरे साथ आबकारी स्टाफ से कार्यालय प्रधान आबकारी का0 जगवीर सिंह, महेश कुमार, सनक सिंह, हनीफउल्ला, श्रीमति रिंकू देवी आदि तैनात थे। हमारे यहॉ जी0डी0 नहीं चलती है इसलिये जब हम दबिश देने जाते है तो लिखा पढ़ी करके नहीं जाते है। दबिश हम मुखबिरी के आधार पर देते है जिसके लिए आबकारी अधिकारी स्वयं सक्षम है। घटना वाले दिन हम 12 बजे के करीब आबकारी क्षेत्र 2 गजरौला के लिए चले थे वहॉ से क्षेत्र का स्टाफ लिया जहॉ से हमें मुखविर द्वारा सूचना मिली और आदमपुर क्षेत्र में अवैध शराब बनाने वालों की तलाश में गये थे। 20 अगस्त 2014 को मैं डुयूटी पर था गजरौला से हम एक सवा बजे चले थे। गजरौला से हम सीधे घटना स्थल पर गये थे। मुखबिर हमें ढवारसी के पास मिला था। मुखविर आम या खास था इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुखविर हमारे साथ नहीं गया था। मुखविर ने यह बता दिया था कि कहॉ कहॉ शराब तोड़ी जा रही है। हमारे टीम में कुल कितने लोग थे उत्तर–करीब दस लोग थे। पूरी टीम एक साथ दविश देती है और एक साथ ही रहते है। घटना स्थल पर दर्शित उदल, अमर सिंह, शीशपाल का मकान कितनी मंजिल है, ध्यान नहीं है। मकान कुछ कच्चे थे कुछ पक्के थे इन घरों के आंगन में किस किस चीज के पेड़ खड़े है। यह ध्यान नहीं है। इनके मकानों में कितने कमरे बने है यह ध्यान नहीं है। उदल के मकान का सदर दरवाजा उत्तर की तरफ था अमर सिंह के मकान का दरवाजा किस तरफ था ध्यान नहीं है। शीशपाल व वीर सिंह के मकान का सदर दरवाजा किस रूखा है।

यह भी ध्यान नहीं है। उपरोक्त मकानों की चार दीवारी कितनी–कितनी ऊंची थी यह ध्यान नहीं है। इन मकानों के दरवाजे घटना के समय खुले थे या बंद थे यह ध्यान नहीं है। इन मकानों के दरवाजे लोहे के थे या लकड़ी के थे यह भी ध्यान नहीं है। घटना स्थल पर जिस रास्ते पर मकान बने है वह रास्ता पूरब पश्चिम है। वह रास्ते उस समय कच्चा रोड था। हमने अपनी गाड़ी कच्चा स्थल से अलग ढबारसी रोड पर खड़ी की थी। घटना स्थल पर कुछ लोग हमारे पहुंचने से पहले से ही थे। पहले से वहॉ करीब 10–12 लोग थे। घटना स्थल पर 15–20 मिनट फायरिंग हुई थी, साथ ही लाठी डन्डे भी चले थे। हम अपने साथ थाना आदमपुर पुलिस नहीं ले गये थे न हमने कच्चा स्थल से थाना आदमपुर पुलिस को सूचना दी थी। हमारी टीम को कोई आर्मस फायर की चोट नहीं आयी थी। मेरे कोई लाठी डन्डो की भी चोट नहीं आयी थी। चोट केवल मनोज कुमार को आयी थी इसके अलावा किसी को कोई चोट नहीं थी। यह घटना दविश करने से पूर्व ही हो गयी थी। घटना कारित करने वाले लोग नशे में नही थे। न ही पागल थे। दविश देने से पहले हमने उस गांव के प्रधान को सूचित नहीं किया था मैं गांव साथलपुर आता जाता नहीं हूॅ। मैं इस गांव में करीब आधा घंटा रूका था। हम दविश में अपना दविश बैग साथ लेकर गये थे। हमारे पास केवल सरकारी रिवाल्वर था अन्य किसी पर कोई हथियार नहीं था। हमने अपने बचाव में कोई फायर नहीं किया था। फायर करने कोई आवश्यकता नहीं समझी। साथलपुर गांव वालों से हमारी कोई रंजिश नहीं थी। घटना स्थल से आदमपुर 7.8 किमी हसनपुर करीब 20 किमी पड़ता है। अमरोहा कितनी दूर है यह सही पता नहीं है। घटना स्थल से हसनपुर नजदीक है अमरोहा दूर है। हमने घायल मनोज को प्राथमिक चिकित्सा हसनपुर में नहीं दिलवायी थी जिला अस्पताल अमरोहा में दिलवायी थी। घटना स्थल पर खून गिरा था या नहीं, यह ध्यान नहीं है। खून गिरने वाली बात दरोगा जी ने नहीं पूछी थी। न ही मैंने दरोगा जी को बतायी थी। घटना स्थल का निरीक्षण मैंने कराया था किस दिन कराया था यह ध्यान नहीं है। हमने अपनी तहरीर व बयानों में मुल्जिमानों की कद काठी व उम्र आदि के बारे में नहीं बताया था। न ही दरोगा जी ने हमसे शिनाख्त कार्यवाही करायी थी। हमने तहरीर में नाम हमराहीयान के बताने पर लिखे थे। तहरीर में हमने चार पांच नाम लिखाये थे बयानों में भी मैंने चार पांच नाम बताये थे। 15–20 कुल बताये थे। यह कहना गलत है कि हमने अभियुक्तगण को उनकी गांव की पार्टीबंदी व चुनाव के कारण बिचालियों से मिलकर फसाया हो तथा ऐसी कोई घटना न घटी हो।

साक्षी पी0डब्लू0–2 अतर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं गया है। **अभियोजन के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।** विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना वाले दिन मैं हसनपुर किस काम से गया था और किस समय आया था मुझे नही पता। मेरे घर से ऊदल का घर आधा किलोमीटर दूर है सभी मुल्जिमान ऊदल, मदन, सुभाष, राजू व धर्म सिंह को जानता हूँ। मेरे गांव के है। मेरे परिवार का कोई नहीं है ना ही मेरे घनिष्ठ सम्बंधी है। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

साक्षी पी0डब्लू0–3 नितिन कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथित घटना के सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर चिक एफ0आई0आर0 तैयार कराने व जी0डी0 में इन्द्राज करने का कथन किया गया है।

जबकि इस साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मैंने पहले पुश्त लिखी थी। पुश्त मैंने समय 19.30बजे लिखी थी उसके बाद जी0डी0 में खुलासा किया था। जी0डी0 भी मेरे द्वारा 19.30बजे लिखी गयी थी। पुश्त लिखने में 10 से 15 मिनट लगे हो। उसके बाद जी0डी0 लिखी थी। जी0डी0 लिखने में भी 10 से 15 मिनट लगे होगे। जी0डी0 व पुश्त लिखने का समय एक ही है। इस मुकदमें से पहले व बाद में मैने किस धारा व किस मुल्जिम के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया यह मुझे ध्यान नहीं है। वादी मुकदमा के साथ मुल्जिम आये थे अथवा नहीं आये थे, इस समय मुझे ध्यान नहीं है। यह भी मुझे ध्यान नहीं है कि जिस कास्टेबिल के चोट लगना बताया है वह थाने आया था अथवा नहीं मुझे ध्यान नहीं है।

साक्षी पी0डब्लू0–4 महेश बाबू प्रधान आबकारी सिपाही ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए यह कथन किया गया है कि दिनांक 20.08.2014 को मैं आबकारी क्षेत्र–1 अमरोहा में हेड कास्टेबिल के पर पर तैनात था। उसी दिन मैं अपने विभाग के आबकारी निरीक्षक बख्तावरउल हनीफ व हेड कांस्टेबिल जगवीर सिंह व का0 सनक सिंह व का0 अनिल तिवारी, का0 हनीफउल्ला, महिला कास्टेबिल रिंकू व आकारी क्षेत्र–2 के कास्टेबिल राजेन्द्र सिंह व का0 मनोज कुमार का0 अलीशेर, का0 पवन सिंह के साथ मुखवीर की सूचना पर अवैध शराब की बरामदगी हेतु गांव साथलपुर बीच वाली मडैया थाना आदमपुर में पहुंचे जैसे ही हमारी टीम समय करीब 14.45 बजे गांव के उदल पुत्र होराम सिंह के धर जाकर दविश दी वहॉ पर पहले से ही उदल, रामू, कर्मसिंह, मदन, सुभाष व अन्य लोग

शराब पी रहे थे। उदल के परिवार के बच्चे व महिलाये भी अन्दर थे। हमारी टीम ने दविश डाल तो हमारे ऊपर इन सभी लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उदल व राजू ने जान से मारने की नियत से हम लोगों के ऊपर फायर किये जिससे हम लोग बाल–बाल बच गये। मौके पर 10–15 लोग ओर भी थे। जो हमारे कार्य में बाधा डाल रहे थे। इन लोगों ने हमारे ऊपर ईट पत्थर बरसाये तथा लाठी डन्डों से हमारे ऊपर हमला किया जिससे कास्टेबिल मनोज कुमार को चोटे आयी। हम मौके से मनोज कुमार को घायल अवस्था में लेकर अमरोहा गये। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद दरोगा जी ने मुकदमा लिखाया था।

दिनांक 05.08.2024 को पुनः इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में यह कथन किया है कि मैं थाना आबकारी विभाग सर्किल प्रथम अमरोहा में जुलाई 2011 से जुलाई 2016 तक कार्यरत था। घटना के समय में HC के पद पर तैनात था। घटना के समय हम सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे उनके नाम जगवीर सिंह हैड कॉ०, महेश बाबू हैड० कॉस्टेबिल, अनिल तिवारी कॉ० हनीफ उल्ला, कॉ० सनक सिंह, कॉ० रिकूं सिंह, आदि लोग गये थे। जब हम लोग अपने ऑफिस से कही जाते है तो कही रजिस्टर या जी०डी० इत्यादि में इन्द्राज नहीं करते है। जब हम गांव में गये थे तो हम उदल के घर गये थे। उदल का मकान कितनी मंजिल है मुझे जानकारी नहीं है। किस दिशा में कितने कमरे बने है मकान के अन्दर पेड़ भी है। मुखविर हमारे ठेके वाले आदमी थे। मुखविर आम व खास की मुझे जानकारी नहीं है। घ ाटनास्थल पर हम पौने 3 बजे पहुंचे गये थे हम वहां बुलैरों गाड़ी से गये थे उस गाड़ी का नम्बर मुझे याद नहीं हैं। हम अपने ऑफिस से लगभग 1 या 1:15 बजे निकले थे। जब हम उदल के मकान पर गये थे तो मकान का दरवाजा खुला था। दरवाजा लकड़ी का था। दरवाजा 6 फुट का होगा। जब उदल के मकान के लिये किस दिशा में जाता है मुझे याद नहीं है। रास्ता कच्चा व खड़ंजा था। जब हम उदल के मकान पर पहुंचे तो लगभग 15 से 20 मिनट तक रोढा/ पत्थर वरसा होगा। हमारी टीम ने कोई फायर नहीं किया था। हम उस गांव में लगभग 15 से 20 मिनट तक रूके थे। मुझे जानकारी नहीं है कि हमने किस किस घर की तलाशी ली थी। जब रोढे/ अध्धे/ पत्थर बरसे थे तब हमे चोटें नहीं आयी थीं मनोज कुमार को आयी थी। बाद में कहा कि मनोज कुमार के सिर में लाठी मार दी थी। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे थे तब कॉफी भीड़ एकत्रित हो गयी थी। मुल्जिमानों को हम पहले से नहीं जानते थे। मुल्जिमानों की उम्र, कद काढी की मुझे जानकारी नहीं है। इन मुल्जिमानों के नाम हमें गांवो ने ही बताये थे। किन गांव वालों ने बताये थे उनके नाम हमें याद नहीं है। घटनास्थल से थाने की

दूरी कितनी थी मुझे ध्यान नहीं है। मुल्जिमानों से मौके पर कच्ची शराब बरामद खाम बरामद हुई थी। किस मुल्जिम से बरामद हुई थी इसकी जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना न घटी हो और मैं। मौके पर न गया हों। यह कहना गलत है कि जो भी बयान मैंने न्यायालय में दिया है वो आबकारी विभाग में होने के नाते घटना को बल देने के लिये झूठा दिया है।

साक्षी पी0डब्लू0–5 का0 मनोज कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 20.08.2014 को मैं धनौरा क्षेत्र संख्या 2 में तैनात था उस दिन मैं अपने इंचार्ज बख्तावरउल हनीफ आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–1 अमरोहा के साथ व आबकारी टीम के साथ दबिश के लिए ग्राम साथलपुर की बीच वाली मढ़ैया में मुखबिर द्वारा दी गयी अवैध शराब बनाने की सूचना पर उदल के घर पर पहुंचे और दबिश दी तो वहॉ पर उदल व राजू व 5–6 अन्य व्यक्ति शराब पी रहे थे और उदल के परिवार की महिलाये घर के अन्दर थी जैसे ही हमने दविश दी तो इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और उदल व राजू ने जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर फायर कर दिया और लाठी डन्डों से मारपीट की और शोर शराबा तथा फायर की आवाज पर वहॉ पर गांव के काफी लोग इकट्ठा हो गये थे। लोग हमें सरकारी कार्य करने से रोक रहे थे और बाधा उत्पंन कर रहे थे और 10–15 लोग उदल व उसके साथियों के साथ विरोध कर रहे थे। उन लागों द्वारा मेरे ऊपर किये जान लेवा हमले में गम्भीर रूप से घायल हो गया और खून से लथपथ हो गया। मेरे साथ वालों ने मुझे सरकारी अस्पताल अमरोहा में भिजवाया था जहॉ पर मेरा ईलाज हुआ था। घटना के समय जो लोग घटना में शामिल थे वह 5–6 लोग थे अन्य लोग केवल तमाशा देख रहे थे और शोर शराबा कर रहे थे। बाद में मुझे घटना करने वालों लोगों के नाम पता चले। उदल, राजू, धर्मसिंह, सुभाष एवं मदन सिह थे जो वहॉ पहले से शराब पी रहे थे। इस घटना में मेरे गम्भीर चोटें आयी और मेरा काफी लम्बे समय तक ईलाज चलता रहा और घटना में आयी चोटों के कारण मैं आज भी ठीक नहीं हूँ। मेरा अभी भी ईलाज चल रहा है। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मैं थाना आबकारी विभाग सर्किल–द्वितीय में जून 2014से सन 2021 तक कार्यरत रहा। घटना से पहले साथलपुर की मढ़ैया में आता जाता नहीं था। अभियुक्तगण से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। जिस समय घटना स्थल पर पहुंचे थे वहॉ 5–6 लोग थे। घटना स्थल घर के अन्दर का है। वहॉ महिलायें भी थी। घटना स्थल पर टीम गयी थी। 10–15 लोग थे। कुछ का नाम जानता हूँ। कुछ का नाम

नहीं जानता हूॅ। सरकारी गाड़ी से गये थे। गाड़ी नम्बर ध्यान नहीं है। आबकारी विभाग की जी0डी0 पर कोई रवानगी नहीं होती है। मेरे सीनियर को मुखबिर द्वारा सूचना कहा मिली थी, मुझे जानकारी नहीं है। घटना स्थल अन्दर घर का है। दरवाजा किस रूखा है जानकारी नहीं है। लकड़ा का था या दरवाजा लोहे का इस समय ध्यान नहीं है। घटना स्थल के पूरब, पश्चिम, उत्तर दक्षिण किसका मकान है, ध्यान नहीं है। घटना स्थल पर मैं दरवाजे से गया था। महिलाओं के साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की थी। जब हम घटना स्थल पर पहुंचे शोर शराबा हुआ, काफी लोग आ गये थे सिर में चोट लगने के कारण मैं बेहोश हो गया था। कौन किधर भागा मुझे नहीं पता। मैं राजू, उदल का नाम पहले से नहीं जानता था। किसने बताये यह नहीं बता सकता। मेरे चोट किस मुल्जिम ने मारी मैं यह नहीं बता सकता। मुल्जिमों के नाम अधिकारियों ने जानकारी करके बताये थे। मेरे चोट बांये हाथ की कोहनी व बाजू व जांघ में आयी थी। मेरे चोटों का मेडिकल हुआ था। मेडिकल को कौन लेकर गया था इस समय ध्यान नहीं है। फायर करने वालों के नाम नहीं जानते है। मेरे कोई फायर नही लगा।

साक्षी पी0डब्लू0–6 निरीक्षक उमाशंकर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में मामले की विवेचना करना कहते अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित किया जाना कहा गया है।

जबकि इस साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मैं नहीं बता सकता कि मैं थाना आदमपुर में किस दिनांक से किस दिनांक तक रहा था। मुझे विवेचना दिनांक 26.09.2014 को मिली थी। यह घटना सांथलपुर की बीच वाली मैढयों की है। विवेचना के दौरान मैं वहां कई बार गया था गिनती नहीं बता सकता। घटनास्थल बीच गांव का है। मैंने वहां के ग्राम प्रधान से सम्पर्क किया था व पूर्व ग्रामप्रधान से भी सम्पर्क किया था। मैंने उनके बयान नहीं लिये थे। घटनास्थल के आसपास में शीषपाल, उदल, शिवचरन, के मकान है। घटनास्थल का नक्शा नजरी पूर्व विवेचक द्वारा बनाया गया था। मेरे द्वारा मुल्जिमानों की गवाहों से शिनाख्त परैड नहीं करायी गयी थी। न ही पूर्व विवेचक द्वारा शिनाख्त परैड का कोई उल्लेख सी०सी० व जी०डी० में नहीं है। इस घटना में कुल 10 से 12 पुलिसकर्मी सम्मलित थे। वे आबकारी विभाग से थे। मेरे द्वारा घटना में सम्मलित कर्मचारियों व पुलिसकर्मियों के मोबाईलों की कोई मोबाईल लोकेशन नहीं निकलवायी गयी थी। बयान लिये गये थे। मैंने मोबाईल लोकेशन इसलिये नहीं निकालवायी थी क्योंकि उनका कोई विशेष औचित्य नहीं था। मुझे घटनास्थल से मौके से कुछ नहीं मिला था। आबकारी विभाग का मनोज नाम का बन्दा घायल हुआ था। उसका

ईलाज जिस डॉक्टर से चला था उस डॉक्टर के बयान मेरे द्वारा नहीं लिये गये थे। आबकारी टीम के कार्यालय से उनकी जी०डी० रवानगी मुझे प्राप्त नहीं हुई थी ना ही मैंने देखी थी पूर्व विवेचक को मिली होगी। मेरे द्वारा पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना में केवल केस डायरी का अवलोकन मेरे द्वारा किया गया था। अन्य प्रपत्रों का अवलोकन नहीं किया गया था। आबकारी टीम अपने कार्यालय से किस समय रवाना हुई थी यह मुझे जानकारी नहीं है। इनकों मुखविर किस स्थान पर मिला यह भी जानकारी मुझे नहीं है। मुखविर से इनका किस प्रकार सम्पर्क हुआ था यह भी मुझे जानकारी नहीं है। आबकारी टीम किस वाहन से घटनास्थल पर पहुंची थी यह भी मुझे जानकारी नहीं है। मैंने स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये थे। यह सभी गवाह सांथलपुर की मैढ़यों के आस पास के ही थे। जो मैंने पब्लिक के गवाहों के बयान लिये थे उनमें कोई भी चक्षुसाक्षी नहीं था। मेरे द्वारा घायल पुलिसकर्मी मनोज के कपड़े नहीं लिये गये थे। मुझे जानकारी नहीं है कि पूर्व विवेचक द्वारा घायल व्यक्ति मनोज कुमार के कपड़े लिये गये थे अथवा नहीं। केस डायरी में इसका उल्लेख नहीं है। **मेरे द्वारा कोई भी तमंचा बरामद नहीं हुआ था क्योंकि मुझसे पूर्व ही उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी और न ही पूर्व विवेचक द्वारा किसी अभियुक्त से तमंचा बरामद करने का केस डायरी या जी०डी० में उल्लेख है।** मैंने सांथलपुर की रहने वाली किसी महिला का कोई बयान अंकित नहीं किया था। मुझे जानकारी नहीं है कि घटनास्थल जिस मकान का है उसमें गेट लगा है अथवा नहीं। उस मकान की दीवारें कितनी ऊंची है यह भी मुझे जानकारी नहीं है। मकान एक मंजिल है अथवा दो मंजिल है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। आबकारी टीम द्वारा वहां की महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी नहीं की गयी थी। क्योंकि अभियुक्तगणों ने ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगाया गया था इसलिये मैंने महिलाओं से बदतमीजी के संमंध में गवाहों से कोई प्रश्न नहीं पूछे थे। जिस समय मुझे विवेचना प्राप्त हुई थी उस समय करीब 16 से 17 अभियुक्त प्रकाश में थे। मैंने चार्जशीट 05 अभियुक्तों के खिलाफ लगायी थी और बाकी अभियुक्तों के नाम विवेचना में मेरे द्वारा निकाल दिये गये थे। आबकारी विभाग के कर्मचारियों से मैंने यह जानकारी नहीं की थी आप अभियुक्तों को पहले से जानते थे अथवा नहीं,। आबकारी विभाग के किस पुलिसकर्मी के पास कौन सा हथियार था यह भी मैनें जानकारी नहीं की थी। मैं आबकारी टीम कार्यालय में विवेचना के दौरान नहीं गया था। मैंने किस गवाह के बयान किस दिनांक को लिये थे यह भी मुझे ध्यान नहीं है। आबकारी टीम अलग अलग कार्यालय से थे।

साक्षी पी0डब्लू0–7 निरीक्षक सतेन्द्र कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में मामले की प्रारम्भिक विवेचना करते हुए अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने का साक्ष्य दिया है।

जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि थाना आदमपुर में मैं किस दिनांक से किस दिनांक तक रहा यह मुझे याद नहीं है। परन्तु किस दिन यह मुकदमा पंजीकृत हुआ उस दिन मैं थाना आदमपुर में तैनात था। मुझे यह विवेचना दिनांक 21.08.2014 को मिली थी। घटना स्थल साथलपुर की मढैया का है। विवेचना के दौरान मैं लगभग 5 बार मैं साथलपुर की मढ़ैया गया। घटनास्थल गांव के अन्दर का तिराहे का है। मैने घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया है। घटनास्थल पर मौके पर किस किस के मकान है अब मुझे ध्यान नहीं है। ऊदल के मकान पर गये थे। ऊदल का मकान उस समय एक मंजिला था। ऊदल के मकान को गेट किस दिशा में है अब मुझे ध्यान नहीं है। उस समय ऊदल के मकान का गेट लकड़ी का था। अब मेरे ध्यान नहीं है कि चार दीवारी कितनी ऊंची थी । ऊदल के आंगन में किस किस चीज के पेड़ खड़े है अब मुझे ध्यान नहीं है। आबकारी पुलिसकर्मी कुछ मुल्जिमानों को पहले से जानती थी। मेरे द्वारा मुल्जिमानों की गवाहों से शिनाख्त परेड नहीं करायी गयी थीं। मैंने सी०डी० व जी0डी० में यह भी दर्ज नहीं कराया गया था क्योंकि आबकारी पुलिसकर्मी उनको पहले से जानते थे। इस घटना में कुल 9 से 10 पुलिसकर्मी शामिल थे। मैंने आबकारी पुलिसकर्मियों की लोकेश नहीं निकलवाई थी। क्योंकि ऐसी दबिश में अक्सर पुलिस अपना फोन बंद कर लेती है जिससे की उनकी लोकेश कोई ऑउट न कर ले। मुझे घटनास्थल से कोई समान नहीं मिला। इस घटना में कॉ० मनोज घायल हुये थे। उसका ईलाज जिला अस्पताल अमरोहा में हुआ था। उसके बयान अन्य विवेचक द्वारा लिये गये थे मैंने नहीं लिये थे। मैंने आबकारी विभाग की जी०डी० रवानगी नहीं बनाई थी। आबकारी टीम किस वाहन से घटनास्थल पर पहुंची थी मुझे ध्यान नहीं है। चोटिल के कपडे मैंनें कब्जे में नहीं लिये थे। जिस समय मुझे विवेचना मिली थी उस समय लगभग 15 आदमी वादी के बयानों में प्रकाश में आये थे।

साक्षी पी0डब्लू0–8 डॉ0 चन्द्रपाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में साक्षी के द्वारा उक्त घायल का मेडिकल परीक्षण किये जाने का कथन किया गया है तथा उसके शरीर पर आयी चोटों का विवरण चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में दिया गया है।

घायल के शरीर पर निम्न चोटे–

1– लाल नीलगू सुजन के साथ दांयी तरफ सिर में पीछे की तरफ थी

जिसका आकार 4 cm x 2.5 cm जोकि दाहिने कान से 8cm दूरी पर थी चोट को जेरे निगरानी में रखा गया तथा एक्स रे की सलाह दी गयी।

2– लाल नीलगू सुजन के साथ दाहिने कंधे पर पीछे की तरफ थी जिसका आकार 6.5cm x 2.5 cm जिसको जेरे निगरानी में रखा गया व एक्स–रे की सलाह दी गयी।

3. लाल नीलगू सुजन के साथ बायी कोनी में थी जिसका आकार 6cm x 3cm था जिसको जेरे निगरानी में रखा गया व एक्स–रे की सलाह दी गयी।

4. लाल नीलगू सुजन के साथ बायी जांघ में सामने की तरफ थी जिसका आकार 14cm x 3cm था मेरी राय में सभी चोटे किसी सख्त कुंद वस्तु से आना सम्भव थी चोट नं० 1,2,3 को जेरे निगरानी में रखा गया तथा एक्स–रे की सलाह दी गयी थी। चोट न० 4 साधारण प्रकृति की थी। मेरी राय में सभी चोटे ताजा थी। मेरे द्वारा घायल की मेडिकल रिपोर्ट उसी दिन तैयार की गयी थी मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है मेरे लेख व हस्ताक्षर में है पहचानता हूं व साबित करता हूं मेडिकल रिपोर्ट पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मनोज मेरे पास शाम के समय आया था समय इस समय ध्यान नही है उसके साथ शेर अली नाम का व्यक्ति आया था इसके पास एक मजरूबी चिट्ठी थी लेकिन वह चिट्ठी पत्रावली में नहीं है न ही मैने उसका पहचान के तौर पर कोई आधार कार्ड नही लिया था। मनोज के कोई खुली चोट भी नहीं थी। उसने वर्दी पहन रखी थी या नही ये मुझे इस समय याद नही है उसके पहने हुए कपडे फटे हुए थे या नहीं यह मुझे याद नही। उसके पहने हुए कपडों पर कोई दाग धब्बा था या नही मुझे याद नही है। मैने कपडों से से संबधित तस्करा मेडिकल रिपोर्ट में भी नहीं किया। सारी चोटे नीलगू है। नीलगू चोटों का निशान चोट लगने के 14 दिन के बाद समाप्त हो जाता है। सारी चोटे आयताकार (लम्बाई) में थी सबका आकार अलग अलग था। इन चोटों पर छिलन नहीं थी चोटो का रंग लाल था लाल निशान चोट लगने के 1 से 2 दिन तक रहता है और उसके बाद रंग बदलने लगता है। मैं सी०एच०सी आदमपुर में तैनात नही था मैं जिला संयुक्त चिकित्सालय अमरोहा में तैनात था। मजरूबी चिट्ठी किस थाने से आयी थी मुझे याद नही है। चोट नं० 4 साधारण प्रकृति की थी चोट नं० 1,2,3 के एक्स–रे कराने की सलाह दी थी। मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे सलाह पर उन्होंने कोई एक्स–रे कराया या नहीं। लेकिन इस समय एक्स–रे या एक्स–रे रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद नहीं है। एक्स–रे हम चोट में तिंबजनतम जानने के लिए कराते है यदि एक्स–रे

fracture नही आता है तो चोट नं० 1,2,3 भी साधारण प्रकृति की होती। ऐसी चोटें किसी ऊंची दीवार आदि के गिरने से या टकराने से भी आ सकती है।

23– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण के तथ्यों व साक्ष्यों से स्पष्ट है कि मामला प्रत्यक्ष दर्शी साक्ष्यों पर आधारित है तथा अभियोजन की ओर से परीक्षित गये तथ्यों के साक्षीगण के कथनों में यह स्पष्ट रूप से आया है कि अभियुक्तगण से आबकारी टीम द्वारा अवैध शराब की बरामदगी के सम्बन्ध में जब टीम घटना स्थल पर पहुंची तो वहॉ से उपस्थित लोगों ने टीम पर अचानक हमला कर दिया तथा तमंचे से फायर कर दिया व टीम पर लाठी डन्डों व ईट रोढ़ों से मारपीट करने लगे जिससे आबकारी सिपाही मनोज कुमार घायल हो गया। इस तथ्य का खण्डन में बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहॉ तक मामला प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित हो वहॉ हेतूक महत्वहीन हो जाता है। चिकित्सीय रिपोर्ट में भी अभियुक्तगण के द्वारा चुटैल मनोज कुमार को चोट नं0–4 साधारण प्रकृति की चोट कारित किया जाना आया है। पूरक रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। साक्षी डाक्टर चन्द्रपाल सिंह पी0डब्लू0–8 द्वारा जिरह में यह कथन किया गया कि इस समय एक्सरे या एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद नहीं है।एक्सरे हम चोट में फ्रेक्चर जानने के लिए कराते है यदि एक्सरे में फ्रेक्चर नहीं आता है तो चोट नं0 1,2,3 भी साधारण प्रकृति की होती है। उक्त चुटैल को आयी चोट को उक्त साक्षीगण द्वारा साबित किया गया है।इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा मौके पर आबकारी टीम के साथ मारपीट किया जाना व लाठी डन्डों से चोटें पहुचाये जाना व चुटैल मनोज कुमार को साधारण प्रकृति की चोट पहुंचाना प्रकट होता है।

24– अभियोजन की ओर से अपनी बहस में यह भी तर्क दिया गया कि तहरीर प्रदर्श क–1 में वर्णित अभियोजन कथन अभियोजन साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से सारभूत रूप से युक्ति युक्त रूप से साबित किया है । अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व चिकित्सीय साक्ष्य में किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास होना नहीं पाया गया है। घटना जिस दिनांक की है उस दिनांक को तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्षीगण के द्वारा वास्तविक हमलावर के स्थान पर किसी अन्य को जानबूझकर उक्त घटना में फसाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अभियुक्तगण के द्वारा कथित घटना कारित की गयी है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्द्रपाल सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह में यह अवधारित किया गया है, हालाकि अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में कुछ बिन्दुओं में विरोधाभाष व भिन्नता आयी है जिससे उनके समस्त कथन पर

कोई अविश्वास किया जा सके तथा अभियोजन कथन व साक्ष्य को झुटलाया जा सके। ऐसी परिस्थितियों में उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा ही वास्तव में आबकारी टीम पर हमलाकर घटना कारित की गयी है।

जहॉ तक अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा मौके पर तमंचे से फायर भी किया गया था परन्तु आबकारी टीम को कोई आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं आयी है। चूँकि आबकारी टीम बताये गये तरीको से फायर आर्म्स की चोट से बच गये थे। जहॉ तक अभियोजन की ओर से तमंचे से फायर करके चोट पहुंचाने जाने का कथन है, उसके सम्बन्ध में किसी भी आबकारी टीम के सदस्य को कोई भी फायर आर्म्स की चोट आना दर्शित नहीं होता है। यहॉ तक मौके पर फायर आर्म्स के सम्बन्ध में ना तो मौके से कोई छर्रा टिकली, कारतूस आदि की बरामदगी नही की गयी है और ना किस अभियुक्तगण के द्वारा तमंचे से फायर करना बताया गया है। तमंचे की बरामदगी नहीं की गयी है। चुटैल मनोज कुमार जो चोटें चिकित्सीय प्रपत्र में दर्शायी गयी है वह साधारण प्रकृति की है। पूरक चिकित्सीय रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है जिससे यह साबित हो कि चुटैल को कोई गम्भीर प्रकृति की चोट आयी हो। इन परिस्थतियों में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य से तमंचे से फायर किया जाना साबित नहीं होता है ना ही कोई तमंचा न्यायालय प्रस्तुत किया गया और ना ही अलग से तमंचे की फर्द बनाई गयी है जिससे यह साबित हो कि कथित घटना में फायर आर्म्स का प्रयोग कर जान से मारने की नियत से आबकारी टीम तमंचे से फायर किया गया जिससे वह बाल–बाल बच गये, अभियोजन उक्त कथन को अभियोजन साक्षीगण के माध्यम से साबित नहीं कर पाया है।

जहॉ तक घटना में अन्य तथ्यों का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में अभियोजन साक्षीगण के द्वारा पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्तगण के विरूद्ध दिया गया है ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना कारित करने के सम्बन्ध में नकारा नहीं जा सकता है।

25– प्रस्तुत प्रकरण में **धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** के अन्तर्गत अब यह बचाव पक्ष पर अधिभार है कि वह सिद्ध करे कि प्रस्तुत साक्षीगण ने उनके विरूद्ध रंजिशन झूठा बयान दिया है। विवेचक द्वारा सही विवेचना नहीं की गयी है उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है । अभियुक्तगण के द्वारा यह भी कथन किया गया कि उनके विरूद्ध गलत व झूठा मुकदमा चलाया गया है उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया गया है। अभियुक्तगण को अपनी निर्दोषिताः विश्वसनीयता साक्ष्य

से सिद्ध करनी होती है। **निर्णयज विधि 2015(2) कि0294 श्रीचन्द्र बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एवं निर्णयज विधि 2016 सी0आर0एल0जे0 623 एस0सी0 नरेन्द्र कुमार बनलाम एन0सी0टी0 दिल्ली में माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा यह कहा गया है कि अपने को झूठा फंसाए जाने की प्ली को अपने साक्ष्य से सन्देह से परे सिद्ध करना होता है कि उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष को प्रति रक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया परन्तु बचाव पक्ष की ओर से प्रति रक्षा में ना तो किसी साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है और ना ही किसी प्रलेखीय साक्ष्य का प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण से अभियुक्तगण द्वारा मौके पर लाठी डन्डों, ईट रोढ़ों से चोट पहुंचाये जाना स्पष्ट होता है। अभियोजन साक्ष्य में किसी महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई विशेष विरोधाभास प्रकट नहीं होता है।

26– उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि अभियुक्तगण द्वारा साशय आबकारी टीम के सदस्यों पर कथित दिनाक, समय व स्थान पर लाठी डन्डो व ईट, रोढ़ों से हमला करना व चुटैल मनोज कुमार को चोट पहुंचाये जाना एवं भय व्याप्त करना साबित होता है। अभियोजन साक्ष्यों से यह भी सिद्ध होता है कि अभियोजन साक्ष्यों में किसी महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई विरोधाभास नहीं है तथा साक्षीगण के साक्ष्य विश्वसनीय प्रकृति का है तथा अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है, अपितू साक्षीगण के साक्ष्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की परिलक्षित होती है। अभियोजन की ओर से परीक्षित चोटहिल जोकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, उनके साक्ष्य से भी अभियुक्तगण के द्वारा साशय चोट पहुंचाए जाने का कथन किया गया है। मामले की प्राथमिकी विलम्ब से लिखाए जाने का स्पष्टीकरण दिया गया है।

जहॉ तक फायर आर्म्स की चोट का सम्बन्ध है ना तो चिकित्सीय प्रपत्रों से और ना ही अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य से यह साबित है कि अभियुक्तगण के द्वारा कथित घटना में जान से मारने की नियत से तमंचे फायर किया गया है। ना ही घटना में प्रयुक्त तमंचे की बरामदगी के सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य मौजूद है जिससे यह सिद्ध हो कि कथित घटना में अभियुक्तगण के द्वारा तमंचे का प्रयोग किया गया है व फायर आर्म्स की चोट चुटैल आदि को आयी, जिससे यह सिद्ध हो कि कथित घटना कारित करते समय अभियुक्तगण के द्वारा तमंचे का प्रयोग किया गया हो।

27– इस प्रकार अभियोजन द्वारा मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से सन्देह से परे अभियुक्तगण के विरूद्ध कथित अपराध साबित किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत अपराध कारित किया जाना निश्चित रूप से स्थापित होता है। अभियोजन कथानक को श्रृंखलाबद्ध कड़ियों के माध्यम से उपलब्ध प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 20.08.2014 को समय 14.15 बजे स्थान ग्राम सॉथलपुर की बीच वाली मढ़ैइया थाना आदमपुर जिला अमरोहा के अन्तर्गत अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर आबकारी विभाग की टीम पर हमला करने हेतु घातक हथियारों से लैस होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया तथा अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आबकारी टीम पर अचानक हमला कर दिया एवं आबकारी टीम पर लाठी डन्डों व ईट रोड़ो से मारपीट कर चुटैल मनोज कुमार को उपहति कारित की तथा वादी मुकदमा एवं अन्य सरकारी कर्मचारी/लोक सेवक जब अपने कर्तव्य के निर्वहन कर रहे थे तो उनके साथ मारपीट कर उनको सरकारी कार्य करनें से भयोपरत किया तथा आबकारी विभाग की टीम के सदस्यों पर ईट रोड़े फेंके जिससे उनके व्यक्तिगत सुरक्षा एवं उनके जीवन को खतरा उत्पंन हुआ जिससे भय व्याप्त हो गया, जिसको अभियोजन द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्षीगण के माध्यम से सन्देह से परे सिद्ध किया गया है।

28– जहॉ तक अभियुक्तगण पर धारा 307 सपठित धारा 149 व धारा 333 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 का सम्बन्ध है तो उपरोक्त विवेचना व विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तगण ऊदल, राजू सिंह, धर्म सिंह, सुभाष धारा 307 सपठित धारा 149 व धारा 333 सपठित 149,भा0दं0सं0 के आरोप में दोषमुक्त किये जाने योग्य है तथा अभियुक्तगण ऊदल, राजू सिंह, धर्म सिंह, सुभाष धारा 147, 148, 323 सपठित 149, 332 सपठित 149, 336 सपठित 149, 353 सपठित 149, भा0दं0सं0 व धारा 7 कि0लॉ अमेंडमेंट एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण ऊदल, राजू सिंह, धर्म सिंह, सुभाष को सत्र परीक्षण संख्या 329 सन 16 अ0सं0 435 सन 2014 थाना आदमपुर के अन्तर्गत धारा 147, 148, धारा 323 सपठित 149, 332 सपठित 149, 336 सपठित 149, 353 सपठित 149, भा0दं0सं0 व धारा 7 कि0लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण ऊदल, राजू सिंह, धर्म सिंह, सुभाष को धारा 307 सपठित धारा 149 व धारा 333 सपठित 149,भा0दं0सं0 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण के जमानत नामें व बंधपत्र निरस्त किये जाते है एवां उनके जमानतियों को जमानत दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित है उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु मध्यावकाश उपरांत पेश हो।

दिनांक 01.06.2026

(शाकिर हसन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
अमरोहा।

ID No.UP-2416

29– मध्यावकाश उपरांत पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई।

30– दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम 1958 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है तथा अभियुक्तगण को सम्बन्धित धाराओं में कारावास से दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है तथा अभियुक्तगण गरीब व मजदूर व्यक्ति है तथा अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते है। अभियुक्तगण के अलावा परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं है। प्रार्थीगण कोई अन्य अपराध कभी कारित नहीं करेगें। उक्त सभी परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अवधि पर छोड़ा जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। याचना की है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण को परिवीक्षा की अवधि पर छोड़ा जाए। मौखिक रूप से यह कथन किया गया कि उन्हें परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत परिवीक्षा का लाभ दिया जाए। परिवीक्षा अवधि में अच्छा आचरण बनाये रखेगे। उनका कोई अपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद में जिन धाराओं में दोषसिद्ध किया गया है, वे सभी धाराये अन्तर्गत धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम 1958 में छोड़ देने के लिए समुचित है, अतः उन्हें सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देने की याचना की गयी है।

31– विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने दोषसिद्ध अभियुक्तगण उपरोक्त को परिवीक्षा पर छोड़ने पर आपत्ति की है।

32– अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना गया एवं पत्रावली का का परिशीलन किया गया।

33– पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण उपरोक्त को 147, 148, धारा 323 सपठित 149, 332 सपठित 149, 336

सपठित 149, 353 सपठित 149, भा0दं0सं0 व धारा 7 कि0लॉ अमेंडमेंट एक्ट के आरोप में दोषी पाया गया है जिनमें अधिकतम दण्डादेश तीन वर्ष तक का है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली प्राचीन पत्रावलियों की श्रेणी के अन्तर्गत है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा दोषसिद्ध अभियुक्तगण उपरोक्त की आयु, आचरण, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जाना पूर्णतया न्यायोचित एवं विधिसंगत प्रकट होता है।

34— विधि व्यवस्था स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम मुडप्पा 2000(1)ए0सी0आर0 आर0 पेज 240(एस0सी0) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो उसे परिवीक्षा पर छोड़े जाने में कोई बाधा नहीं है।

35— उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषणोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 04 परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ देते हुए एक—एक वर्ष की अवधि के लिए सदाचार की परिवीक्षा पर प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा मुब0 बीस—बीस हजार रूपये के निजी बंधपत्र और समतुल्य धनराशि के दो—दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर एक—एक वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचरण की शर्त पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है।

36— न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध सभी अभियुक्तगण के विषय में प्राप्त करायी गयी जानकारी व प्रस्तुत मामले में उनकी दोषसिद्धि के पर्याप्त विचारण के पश्चात उनके द्वारा कारित अपराध की प्रकृति और उनके चरित्र को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सभी दोषसिद्ध अभियुक्तगण को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन है।

आदेश

अभियुक्तगण ऊदल, राजू सिंह, धर्म सिंह एवं सुभाष को सत्र परीक्षण संख्या 329 सन 2016 अ0सं0 435 सन 2014 थाना आदमपुर के अन्तर्गत धारा 147, 148, धारा 323 सपठित 149, 332 सपठित 149, 336 सपठित 149, 353 सपठित 149, भा0दं0सं0 व धारा 7 कि0लॉ अमेंडमेंट एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध पश्चात धारा 04 परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ देते हुए एक—एक वर्ष की अवधि के लिए सदाचार की परिवीक्षा पर प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा मुब0 बीस—बीस हजार रूपये के निजी बंधपत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो—दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर एक—एक वर्ष की परिवीक्षा पर इन शर्तो के अधीन मुक्त किया जाता है कि वे परिवीक्षा अवधि में परिशान्ति,

सद्व्यवहार एवं सदाचार बनाये रखेगें तथा कोई अन्य अपराध कारित नहीं करेगें। यदि उनके द्वारा परिवीक्षा की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो अभियुक्तगण विचारण न्यायालय के समक्ष दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु उपस्थित होगें।

आदेश की एक प्रति जिला परिवीक्षा अधिकारी अमरोहा को भी प्रेषित की जाए। अभियुक्तगण उपरोक्त अंदर पन्द्रह दिवस जिला परिवीक्षा अधिकारी अमरोहा के समक्ष उपरोक्त धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं दो–दो प्रतिभू प्रस्तुत करे।

इस निर्णय की एक–एक प्रति अभियुक्तगण उपरोक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

अभियुक्तगण निर्णय की तिथि से पन्द्रह दिवस के अन्दर धारा 437ए दं0प्र0सं0 के प्रावधान के अनुसार अंकन बीस–बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इतनी राशि के दो–दो सन्तोषजनक प्रतिभू निष्पादित करे। उनके द्वारा नये जामिनान प्रस्तुत करने पर उनके पूर्व व्यक्तिगत बन्धपत्र व जमानत प्रपत्र निर्मुक्त होगें। नये जामिनान अन्तर्गत धारा 437ए दं0प्र0सं0 इस आशय से निष्पादित होगें कि निर्णय के विरूद्ध अपील होने की स्थिति में अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगें, अन्यथा उनके प्रतिभूओं व बन्धपत्र जब्त किये जा सकेगें। उक्त प्रतिभू व बंधपत्र विधि द्वारा निर्धारित अवधि तक विधिनुसार ही प्रभावी होगें।

दिनांक 01.06.2026

(शाकिर हसन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
अमरोहा।
ID No.UP-2416

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 01.06.2026

(शाकिर हसन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
अमरोहा।
ID No.UP-2416